न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व अपील : 15/2015
जी.सी.एम.एस. : 2015/00057

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थीगण**

अचलाराम पुत्र श्री मूलाराम जाति चौधरी निवासी नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

1. ग्राम पंचायत नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)
2. भुराराम पुत्र केनारामजी जाति चौधरी निवासी नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)
3. मृत शिवराज पुत्र पनराजजी जाति मेहता जैन निवासी नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली के विधिक उत्तराधिकारीगण :–
   3/1. हनुमन्तराज पुत्र शिवराजजी जाति मेहता जैन
   3/2. अशोककुमार पुत्र शिवराजजी जाति मेहता जैन निवासी नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)
   वर्तमान पता :– 201, महाराजा एमार्टमेन्ट, एस.वी. रोड़ मलाड़, (वेस्ट) मुम्बई 400004

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1997

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पी.एम.जोशी
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से सुमेर सिंह राजपुरोहित,
अप्रार्थी संख्या 3/1 की ओर से श्री मदनदास वैष्णव

–: निर्णय :–

दिनांक:– 25/2/21

यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 97 राज पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आदेश एवं आदेशिकाए 15.02.70, 17.05.70, 24.05.70, 14.06.1970 मिसल संख्या 09/69–70 तथा जारी पट्टा संख्या 07/70–71 दिनांक 04.06.1970 ग्राम पंचायत नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली के विरूद्ध उन्हे निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडोल से पट्टा सम्बधी रेकार्ड तलब किया गया बहस उभय पक्ष सूनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम नाडोल में जैर निगरानी परिसर प्रार्थी के हक अधिकार अधिपत्य स्वामित्व का आवासीय मकान स्थित है जो पश्चिम दिशा में प्रथम 20X80=1600 वर्ग फीट का भूखण्ड संख्या 21 का दक्षिणी आधा हिस्सा है तथा पट्टाधारी कंचन कंवर से क्रयसुदा है जो दिनांक 21.06.1996 को क्रय किया गया है। द्वितीय भाग 20X40 वर्गफीट है जो खांचा भू पट्टी के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय नियमन की जा[illegible] को पट्टा संख्या 3053 प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है जो बाजार दर [illegible] 24000/– में ग्राम पंचायत से प्राप्त की गई उक्त परिसर के पूर्व दिशा में [illegible] भूमि के पश्चात [illegible] नाडी स्थित थी जिसका पट्टा सख्या 07/70–71 दि[illegible] 04.06.70 को अप्रा[illegible]ख्या 3 के पक्ष में पंचायत से मिलावट कर जारी करवा लिया तथा अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को विक्रय की गई है ग्राम पंचायत सार्वजनिक नाडी की भूमि का पट्टा जारी नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:31 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

कर सकती है न ही विक्रय कर सकती है ऐसी स्थिति के जारी पट्टा प्रारम्भ से शुन्य होने से खारिज योग्य है।

उक्त पट्टा जारी करते समय पंचायती राज नियमों के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए फर्जी व दुषित प्रक्रिया अपनाकर जैर निगरानी पटटा जारी किया गया है निलामी कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि का नक्शा प्लान नही बनाया न ही नगर नियोजक से अनुमोदित कराया है ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर कार्यवाही प्रारम्भ नही की गई है खसरा नम्बर 1109 की उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के रूप में दर्ज होने बाबत जांच नही की गई उक्त भूमि आबादी नही होकर झीलवाली नाडी के रूप में सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसे विक्रय करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है जो नक्शा कर ग्राम सेवक द्वारा तैयार किया गया उस पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नही है न तिथि अंकित है आदेशिका 31.08.69 के अनुसार तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित कि गई नेमाराम जसाराम व देवीचंद जी को मनोनित किया गया है बाद में मौका नोट पर जसाराम के स्थान पर मानसिंह के हस्ताक्षर है जसााम के हस्ताक्षर नही है पं.ह. द्वारा आबादी भूमि 10.03.1970 को होना वर्णित है 05.10.69 को प्रमाण पत्र अस्तित्व में ही नही था इस प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही मिसल में फर्जी तैयार की गई आपती इश्तिहार दिनांक 05.10.69 को 01 माह का जारी करने के आदेश है एवं पुनः मिसल में 30.10.69 को पेश कर 30 दिन की अवधि समाप्ती से पूर्व ही आगे की कार्यवाही की गई दिनांक 26.10.69 को दर्ज आदेशिका में काट छाट की गई जिस पर लघु हस्ताक्ष्झर नही है इस प्रकार किसी प्रकार की आपती प्राप्त नही होने का कथन म्याद पूरी होने से पूर्व ही दर्ज कर दिया गया निलामी इश्तिहार जारी का निलामी 13.02.1970 स 15.02.1970 को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक करने का आदेश दिया गया जो विधि अनुरूप नही है इस कारण भी पट्टा निरस्तनीय है निलामी शिवराज के नाम रही जबकि सम्पुर्ण निलामी राशि मौके पर ही 208 रूपये जाम करा दी गई जबकि 25 प्रतिशत राशि निलामी से पूर्व जमा होती है तथा शेष राशि बाद में जमा कराई गई अर्थात शिवराज द्वारा बोली से पूर्व किसी प्रकार की राशि जमा नही कराने से वह बोली भी नही लगा सकता था। निलामी के सूचना पत्र निलामी सूची में प्रपत्र जारी कराने की तिथि अंकित नही है निलामी राशि में कटिंग कि गई है इससे भी फर्जी वाडा किया जाना स्पष्ट है अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय अप्रार्थी संख्या 02 को किया जो अग्रेंजी के संपादित दस्तावेज जो मुम्बई में सम्पादित किया गया उसमें भी जैर निगरानी पट्टा भूमि झीलवाडी नाडी भूमि होना अंकित किया है तथा प्लाट संख्या 23 के पश्चिम में पडत भमि 8 फिट भूमि रास्ते के रूप में मौके पर होने की जानकारी जिसे छोडकर विक्रय किऐ जाने का कथन किया है पट्टे में 22920 वर्ग फिट से काफी कम 14920 वर्ग फिट भूमि ही विक्रय की गई इस प्रकार भूखण्ड संख्या 23 की भुमि झीलवाडी नाडी की भुमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से पंचायत द्वारा विक्रय नही की जा सकती है मौके पर वर्षा में इस भूमि में पानी भरता है उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार फरमाई जावे जैर निगरानी प्रस्ताव व पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:31 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि पट्टा एवं प्रस्ताव सन 1970 में जारी किए गए उनके सम्बध में निगरानी सन् 2015 में प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया गया है जिसका कोई तर्क संगत कारण उल्लेखित नही किया है इस प्रकार 45 वर्षो बाद

जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी पेश करने का औचित्य निगरानी में स्पष्ट नही किया गया है। अतः प्रस्तुत निगरानी म्याद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा मिसल संख्या 9/69–70 कायम कर दिनांक 18.08.69 को कार्यवाही प्रारम्भ की सचिव के भुखण्ड का नक्शा बनाने हेतु आदेश किया तथा उक्त नक्शा बाबत ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 25.03.1970 मे प्रस्ताव लिया गया तथा विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत उक्त नक्शे पर वादी तथा सरपंच के भी हस्ताक्षर है नाप अनुसार नक्शा बना हुआ है जो मिसल के सलंग्न है पटवारी हल्का नाडोल–ा द्वारा दिनांक 10.03.1970 को जारी भूमि के आबादी भूमि मे होने का प्रमाण पत्र लिया गया जो पत्रावली सलंग्न है 3 वार्ड पंचों द्वारा मौका नोट बनाकर प्रस्तुत किया गया जिसमे प्लाट नम्बर 23 का नक्शा नाप अनुसार बताया गया तथा उसे निलामी से पूर्व आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु नोटिस दिनांक 05.10.1969 को जारी किया गया है एवं उसे पंचायत भवंन के नोटिस बोर्ड व एक प्रति प्लॉट पर चस्पा किए जाने की रिपोर्ट है दो मौत–बिरानों के हस्ताक्षर भी है निलामी सूचना जारी की गई एवं वह भी उक्त दोनो स्थानों पर चस्पा की गई निलामी 15.02.70 को की गई एवं पंचायत द्वारा प्रस्ताव निलामी स्वीकृति बाबत 25.3.1970 को लिया गया तथा निलामी की स्वीकृति संकल्प संख्या 7(4) के अनुसार विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृती दी गई जिस पर सरपंच व वार्ड पंचों के हस्ताक्षर भी किए हुए है विकास अधिकारी द्वारा मिसल संख्या 9/69–70 प्रस्ताव संख्या 7(4) दिनांक 25.03.1970 के द्वारा 22920 वर्गफिट भूमि का विक्रय विलेख शिवराज पुत्र पनाराज निवासी नाडोल के हक में 208 रूपयें में किया जाना स्वीकार किया है इस आशय का स्वीकृति आदेश तत्कालिन विकास अधिकारी द्वारा जारी सुदा मिसल में सलंग्न है उपरोक्त कार्यवाही बाबत प्रस्ताव दिनांक 15.02.1970, 17.05.1970, 24.05.1970 एवं14.06.70 को प्रस्ताव रजिस्टर में मिसल संख्या 09/69–70 के संबध में लिए हुए है मात्र एक माह का आपति इश्तिहार कसम समय नहीं दिया गया है तथा इस प्रकार प्रक्रिया का पालना किया गया है मात्र overwriting के किसी पट्टे को खारिज करने का आधार 45 वर्ष बाद पूर्ण रूपेण नही माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। तथा जैर निगरानी विक्रय विलेख 7/70–71 जो मिसल संख्या 9/69–70 तथा प्रस्ताव दिनांक 15.02.70, 17.05.70, 24.05.70, एवं 14.06.70 अनुसरण में कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा शिवराज पुत्र पन्नाराज मेहता के पक्ष में जारी किया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:31 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली